नत्था बनाम रामधन

3/2023 अपील

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	17/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरपक्ष उपस्थित। रेस्पो० सं. 2 व 3 की ओर से जवाब पेश नहीं। रेस्पा० सं. 2 व 3 का जवाब पेश किया जाना है वास्ते बहस अन्तिम हेतु दि० 16/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	16/8/24	पत्रावली पेश [illegible] साहब अन्य राज्य का[illegible] व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानु[illegible] दिनांक 18/9/24 को पेश हों।	
	18/9/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस अपील [illegible] वास्ते [illegible] दिनांक 4/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	4/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी। बहस उभयपक्ष व पत्रावली का मूल [illegible] अवलोकन करने पर अपील अपीलान्ट [illegible] निर्णय पृथक [illegible] पत्रावली [illegible] गया [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:55:02 IST
Reason: SelfAttested

यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

ीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 03/2023
दिनांक : 04.10.2024

पुत्र हरसहाय निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

न पुत्र छोटूराम निवासी ग्राम मूनी तहसील जमारामगढ जिला जयपुर हाल सी ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
च ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
ोलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से पेश अपील का विवरण इस प्रकार है कि ीलार्थी की अपील सुदृढ तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत है। जिसमे अपीलार्थी को फलता मिलने की पूरी पूरी आशा है। अपीलार्थी ग्राम झिरी तहसील थानागाजी ला अलवर का मूल निवासी है तथा सन 1974 में जब अपीलार्थी नाबालिग था ब अपीलार्थी के पिता की मृत्यु हो गयी थी तथा ग्राम झिरी मे अपीलार्थी के पिता ; नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का नामान्तकरण अपीलार्थी के नाम हो या। अपीलार्थी अपने माता पिता स्व. हरसहाय एवं स्व धापू देवी का एकमात्र ुत्र है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी अपनी माताजी धापू वी के साथ अपनी नानी के पीहर श्योसिहपुस उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर जेला जयपुर में निवास करने लगा। अपीलार्थी की नानी स्व. ग्यारसी देवी पत्नी ी छोटूराम निवासी कॉट तहसील आमेर जिला जयपुर की निवासी थी। अपीलार्थी व अपीलार्थी की नानी स्व ग्यारसी देवी पत्नी स्व. छोटूराम ने अपीलार्थी की नानी ग्यारसी देवी के भाईयो मंगला, सुक्खा, छोटूराम पुत्रान बालू जाति–मीणा निवासी ग्राम श्योसिहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सागानेर, जिला जयपुर से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से खसरा नम्बर 180 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा में से 9/10 हिस्सा, खरीद की थी उक्त विकय पत्र उप पंजीयक सांगानेर के यहां पर दिनाक 03.11.1978 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 58 कम सख्या 301 पृष्ठ संख्या 193 से 194 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त विकय पत्र के आधार पर अपीलार्थी व अपीलार्थी की नानी दोनो का हिस्सा बराबर था। उक्त [illegible] निष्पादन की तिथि को अपीलार्थी नाबालिग था तथा विकय पत्र में स्पष्ट रूप [illegible] लिखा गया है कि अपीलार्थी के पिता का स्वर्गवास हो [illegible] बालिग होने तक अपीलार्थी की माता धापू बेवा हरसहाय अपीलार्थी की [illegible] माता थी तथा अपीलार्थी उसकी माता का एक मात्र पुत्र है। अपीलार्थी के [illegible]ता की मृत्यु सन 1974 में ही हो गयी थी। अपीलार्थी अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र है तथा अपीलार्थी के अन्य कोई बहन भी नही है। अपीलार्थी की नानी स्व ग्यारसी देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

की मृत्यु के बाद स्व ग्यारसी देवी की विरासत का नामान्तकरण अपीलार्थी की माता स्व. धापू देवी के नाम हो गया उसके पश्चात अपीलार्थी उक्त वर्णित सम्पत्ति पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 180 के वर्तमान खसरा नम्बर खसरा नम्बर 447 रकबा 0.26 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 450 रकबा 0.02 हैक्टयर खसरा नम्बर 449 रकबा 0.52 हैक्टयर व खसरा नम्बर 451 रकबा 0.38 हैक्टयर है। स्व. ग्यारसी देवी के देहान्त के बाद ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे ग्यारसी देवी की पुत्री स्व. धापू देवी पुत्री छोटूराम पत्नी हरसहाय के नाम कृषि भूमि खसरा नम्बर 451 रकबा 0.38 हैक्टयर मे से ग्यारसी देवी के हिस्से 9/20 का नामान्तकरण होने के बाद एकमात्र मालिक स्वामी थी। अपीलार्थी की माता स्व. धापू देवी की मृत्यु दिनांक 11.03. 2010 को हो गयी। अपीलार्थी ही स्व. धापू देवी का एकमात्र वारिस है। वर्तमान मे सांगानेर तहसील मे जमीनो के भाव बढ़ने से अप्रार्थी संख्या 1 के मन मे लालच आ गया तथा स्व. धापू देवी की मृत्यु दिनांक 11.03.2010 को होने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा के सरंपच जो कि प्रत्यर्थी संख्या 2 है तथा राजस्व कर्मचारियो के साथ मिलीभगत कर उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आधा हिस्सा 1/2 अपने पक्ष मे करवा लिया तथा हिस्सा 1/2 अपीलार्थी के नाम कर दिया। जो कि सरासर गलत होने से खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 19.03.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने साथ 8--10 अन्य लोगो को लेकर उक्त भूमि पर आये तथा अपीलार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि हमने उक्त जमीन का नामान्तकरण अपने पक्ष मे करवा लिया है तथा तुम लोग यह भूमि खाली कर दो नही तो तुम्हे जान माल का नुकसान पहुंचेगा तथा हमारी पहुच बहुत उपर तक है। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते। इस पर अपीलार्थी राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपि दिंनाक 21.03.2023 को प्राप्त की तब अपीलार्थी को मालूम हुआ कि ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा ने दिनांक 20.01.2023 को नामान्तकरण संख्या 225 के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि के पूर्व खातेदार स्व. धापू देवी के हिस्से मे से अपना नाम 1/2 हिस्से में दर्ज करवा लिया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर उक्त नामान्तकरण संख्या 225 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया है। उक्त नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 26.12.2022 को पेश हुआ तथा राजस्व कर्मचारियो व प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा बिना जांच किये ही दिनांक 20.01.2023 को बिना अपीलार्थी को सुने तस्दीक कर दिया। जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा द्वारा अपने अधिकारो का दुरूपयोग करते हुए तथा यह जानकारी मे रहते हुए कि उक्त भूमि परः अपीलार्थी की स्व. माता धापू देवी की भूमि है तथा मौके पर कब्जा भी अपीलार्थी का है साथ ही यह भी जानकारी में था कि उक्त भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का कभी कब्जा नही रहा हैं फिर [illegible] संख्या 225 के जरिये प्रत्यर्थी संख्या 1. के नाम नामान्तकरण तस[illegible] या है जो सरसरी तौर पर गलत व प्रभावहीन है। [illegible] संख्या 225 तस्दीक किया गया है वह [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 225 को निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

किया जाकर अपीलार्थी की अपील को सुनकर एवं दस्तावेजो को जांच कर उक्त भूमि का नामान्तकरण विधि के अनुरूप तस्दीक फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील में जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र व धारा 05 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 01 आपस मे दोनो सगे भाई है तथा अपने–2 हिस्सेनुसार ही स्वयं प्रार्थी नन्दा के द्वारा ही नामान्तकरण अपने व अप्रार्थी के खुलवाया गया है। ओर प्रत्यर्थी अपने हिस्सेनुसार अपनी माता के जिवन काल से ही काबिज काश्त है तथा वर्तमान में दोनो भइयो को शामलाती मकान उक्त आराजी मे पुख्ता निर्माणशुदा है यह बात सही है कि उक्त आराजी रजि० विक्रय पत्र के द्वारा खरीदी गई थी जिसमे केता प्रार्थी, प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 01 के मांता स्व० श्रीमती धापूदेवी केता थे। ना कि धापू देवी के विरासत का नामान्तकरण खोला गया था। जो नामान्तकरण स्वयं प्रार्थी नन्दा द्वारा ही खुलवाया गया है। अतः प्रार्थी किसी भी प्रकार से कोई समयावधि की छुट पाने का अधिकारी नहीं है। पैरा सख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि जब नामान्तकरण स्वयं प्रार्थी नन्दा द्वारा ही खुलवाया गया है। तो कैसे माना जावे की प्रार्थी को सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 18.03.2023 को हुई। इसलिए किसी भी प्रकार से देरी माफी का आधार स्वीकार्य नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अन्य तथ्य बर वक्त बहस अर्ज किये जावेगे। अतः जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र एवं धारा 05 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 05 मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब पेश नही करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। दौराने अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये अंत में निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 225 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की अपील को सुनकर एवं दस्तावेजो को जांच कर उक्त भूमि का नामान्तकरण विधि के अनुरूप तस्दीक फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अपील अपीलन्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 225 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय की प्रति प्रेषित की जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 225 की उभयपक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिसम्वत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:55:02 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
अपील अधिकारी
(सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर तृतीय (साँगानेर),
जयपुर